निगरानी 2462-I-15

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

1. राजेश तनय रघुवीर ब्राह्मण
2. हरीशचन्द्र तनय रघुवीर ब्राह्मण

निवासी बमीठा तह. राजनगर जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/7/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओटापुरवा स्थित भूमि खसरा क्र 585/1, 589, नया खसरा क्र 676 रकवा 0.680 हे भूमि बारे गडरिया के नाम की भूमि थी जिसे उनके स्वर्गवास उपरांत उनके पुत्र हेमराज के नाम पर दर्ज की गयी तथा भूमि खसरा 594/1 नया खसरा क्र 0.910 हे भूमि मोतीलाल के नाम पर दर्ज थी जिसे उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारसान लल्लन, किशोरी, पम्मू, ललती के नाम पर वारसाना नामांतरित की गयी तथा उपरोक्त भूमि बारे व मोतीलाल के वारासानों ने निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर निगरानीकर्तागण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रित की गयी, परंतु एक झूठे शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 2462-एक/15 जिला छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5.8.15 | मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 74/स्वप्रेरण निगरानी/अ-6-अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।<br>2. आवेदकगण अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम ओटापुरवा स्थित भूमि खसरा नंबर 585/1, 589 नवीन खसरा नंबर 676 रकवा 0.680 हे0 बारे गडरिया की भूमि थी जिनके स्वर्गवास उपरांत भूमि का नामांतरण उनके पुत्र हेमराज के नाम पर किया गया तथा भूमि खसरा नंबर 594/1 नवीन खसरा नंबर 677 रकवा 0.910 हे. मोतीलाल की भूमि थी जिनके स्वर्गवास उपरांत भूमि का नामांतरण उनके वारसान लल्लन किशोरी, पम्मू, ललती के नाम पर किया गया, उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से आवेदकगण को किया गया तथा राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम दर्ज है तथा आवेदकगण भूमि पर मालिक काबिज है। एक व्यक्ति द्वारा रंजिश के चलते हुए झूठा शिकायती आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.07.2015 को आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित किया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई।<br>3. आवेदकगण का यह भी तर्क है कि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में हुए दिनांक 30.12.2012 को संशोधन उपरांत अपर कलेक्टर छतरपुर को स्वप्रेरणा निगरानी की शक्तियों का प्रयोग शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर किए जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था साथ ही साथ आवेदकगण का यह भी तर्क है कि बारे एवं मोतीलाल का नाम राजस्व अभिलेख में वर्ष 1974-75 से दर्ज है तथा उनके वारसानों के नाम पर भी | |

[कृ. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | विधिवत नामांतरण किया गया था। ऐसी स्थिति में 40 वर्ष पश्चात प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता।<br>4. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रकरण में आवेदकगण द्वारा विधिवत निर्धारित प्रतिफल अदा कर भूमि को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा 40 वर्ष की लबी अवधि पश्चात स्वप्रेरणा की शक्तियों का उपयोग कर विधिक त्रुटि की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रेरित पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग 180 दिवस के भीतर प्रयुक्त की जानी चाहिए जैसा कि 2010 रा.नि. 409 रणवीर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में प्रतिपादित किया गया है।<br>उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 74/स्वप्रेरणा निगरानी/अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।<br>सदस्य | |